न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीणा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 06/2024

माधोलाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र, जाति–मीणा, निवासी–रामनिवासपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्त्ता,

बनाम

1. ओमप्रकाश बैरवा पुत्र श्री कजोड बैरवा, जाति–बैरवा, निवासी–ग्राम राधोपुरा, तहसील–चाकसू, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत–टिगरिया जरिये सरंपच, पूजा बैरवा, पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर।

गैर–निगरानीकर्त्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध संकल्प संख्या 05 दिनांक 06.12.2021 मिसल संख्या 8/2021–22 पट्टा सं0–04 दिनांक 20.04.2022 द्वारा ग्राम पंचायत टिगरियाा, तहसील–चाकसू, द्वारा आबादी भूमि का रिहायती दर पर निशुल्क आवंटन पत्र को निरस्त करने बाबत्।)

उपस्थितिः–

1. श्री विशाल दिनकर, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. अन्नु शर्मा, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से।
3. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 25.03.2026**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत–टिगरिया ने अपने संकल्प संख्या 05 दिनांक 06.12.2021 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत 20/– रू0 प्रति वर्ग अर्थात् कुल राशि 6000/– रू0 प्राप्त कर ओमप्रकाश बैरवा पुत्र श्री कजोडमल बैरवा के हक में पट्टा जारी करने की आज्ञा पारित की है और इसके अनुसरण में पट्टा संख्या 04 दिनांक 20.04.2022 जारी किया गया हैं, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ हैं।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्ता जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री विशाल दिनकर का कथन है कि निगरानी–अधीन ग्राम पंचायत टिगरिया की आज्ञा दिनांक 06.12.2021 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत–टिगरिया को वादग्रस्त भू–खण्ड के संबंध में इन समस्त तथ्यों की जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि पर काफी समय से निगरानीकर्ता का कब्जा है और निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूखण्ड पर परिवार सहित निवास कर रहा है। वादग्रस्त भू–खण्ड आबादी भूमि खसरा नम्बर 58 में स्थित है। जिसमे निगरानीकर्ता का पुश्तैनी खाम टीनपोश बाडा बना हुआ है जिसमे नीचें पुख्ता पत्थर की नींव भरी हुयी है। जिसकी नाप पूर्व पश्चिम 60 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 58 फीट है। जिसका कुल क्षेत्रफल 373.33 वर्गगज है। जिसकी सीमाओ में पूर्व मे खाली भूमि पश्चिम मे कोटखावदा रोड उत्तर में अन्य की भूमि एवं दक्षिण मे मीणा छात्रावास का पुख्ता डंडा बना हुआ है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत टिगरिया है एवं गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 का नजदीकी रिश्तेदार है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 140 से 158 तक वर्णित नियमो की अनदेखी की गयी है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 का कभी वादग्रस्त भू–खण्ड पर कोई कब्जा व स्थायी स्टेक्चर नही रहा तथा वादग्रस्त भू–खण्ड पर 20 वर्षो का अथवा अधिक अवधि का कब्जा रहा हो इसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नही है। जो अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचानपत्र से भी स्पष्ट है, राशन कार्ड में 27 वर्ष की उम्र दर्ज है तो वादग्रस्त भू–खण्ड पर 50 वर्षो के कब्जे की कल्पना कैसे की जा सकती है मौका रिपोर्ट मिथ्या आधारो पर प्रस्तुत की गयी। वादग्रस्त भूमि जिसका पट्टा गैर–निगरानीकर्ता को बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये बाला–बाला दिया है वह भूमि निगरानीकर्ता की है किन्तु निगरानीकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिऐ एवं बिना नोटिस दिऐ गुप–चुप में चुनौतिधीन आज्ञा पारित कर पट्टा जारी किया है जो एकतरफा व मनमाने रूप से पारित की गई आज्ञा होने से निरस्तनीय है। चुनौतिधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व न तो नियमानुसार मौका मुआयना हेतु पंचो की नियुक्ति की है और न ही पंचो द्वारा नियमानुसार कोई मौका देखा गया है। किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस नियमानुसार जारी नहीं किया गया है। आपत्ति नोटिस की दो गवाहों के समक्ष कोई तामील रिपोर्ट नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में आपत्ति नोटिस जारी ही नही किया गया केवल फौरी कागजी कार्यवाही करने के लिऐ गुपचुप में आपत्ति नोटिस बनाया जाकर पत्रावली में रखा गया है पंचायत द्वारा प्रोविजनल फैसला नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि का मालिक निगरानीकर्ता है, उसी का कब्जा था किन्तु इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से साफ जाहिर है कि

सारी कार्यवाही घर–बैठे एक दो दिन में फर्ज़ी तरीके से की गई है। पत्रावली में प्रत्येक कार्यवाही या तो प्रिन्टेड है या फोटोस्टेट है, जिसको भरकर फैसला दिया गया, जो आदेश की तारीफ में नही आने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा सारी कार्यवाही गलत तरीका अपना कर गुपचुप में की है, जिससे कि निगरानीकर्ता को अनुचित तरीके से नुकसान पहुंचाया जाकर गैर–निगरानीकर्ता को अनुचित रूप से फायदा हुआ है। अतः चुनौती–अधीन आज्ञा दिनांक 20.04.2022 अवैध रूप से पारित कर निगरानीकर्ता के मालिकाना हक की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तीय है। राजस्थान पंचायती राज नियम 196 के नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी किये जाने का उल्लेख है किन्तु नियम 158 में 158 वर्गगज तक का पट्टा 2/–, 5/–, 10/– रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से जारी करने का प्रावधान है किन्तु निगरानी अधीन पट्टे की 300 वर्गगज भूमि की 6000/– रूपये की राशि किस नियम के तहत प्राप्त की है, स्पष्ट नहीं है निगरानीकर्ता द्वारा एक वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का सिविल न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थायी निषेधाज्ञा से पूर्व मौका कमीश्नरी भी की गयी थी। जिसमें न्यायालय द्वारा स्वयं मौके पर जाकर निगरानीकर्ता का कब्जा मौके पर माना तत्पश्चात न्यायालय द्वारा प्रकरण में निगरानीकर्ता के हक मे स्थगन आदेश जारी किया गया। उक्त स्थगन आदेश को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गई अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आज्ञा को यथावत रखा गया। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में जब गैर–निगरानीकर्ता का कोई कब्जा ही नही है तो गैर–निगरानी कर्ता संख्या 1 द्वारा केवल मात्र स्वयं के रिश्तेदार होने का लाभ उठाते हुये विधि–विरूद्ध पट्टा जारी कराया है जो निरस्तनीय है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में निगरानी किये जाने का प्रावधान है अतएव निगरानी स्वीकार कर संकल्प संख्या 5 दिनांक 06.12.2021 एवं इसके अनुसरण में जारी किये गये पट्टा संख्या 4 दिनांक 20.04.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

गैर–निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक अन्नू शर्मा का कथन है कि निगरानी–अधीन ग्राम पंचायत टिगरिया की आज्ञा दिनांक 06.12.2021 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप है। पंचायती राज अधिनियम में पंचायत की आज्ञा के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है किन्तु निर्धारित अवधि में अपील न कर सीधे ही निगरानी प्रस्तुत की गई है जो चलने योग्य नहीं है निर्धारित अवधि में अपील क्यों नहीं पेश की गई इसका कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का न तो कोई सद्भाविक कारण बताया है न ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की आज्ञा के विरूद्ध पीडित पक्षकार

ही अपील प्रस्तुत कर सकता है निगरानीकर्ता किसी भी प्रकार से पीडित पक्षकार नहीं है वादग्रस्त भू–खण्ड पर कब्जा होने का कथन किया है लेकिन इसके प्रमाण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जबकि गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के पास वादग्रस्त भू–खण्ड का नियमानुसार प्राप्त पट्टा है निगरानीकर्ता का यह कथन कतई झूंठा है कि वाद–ग्रस्त भूखण्ड पर उसका कब्जा है। वादग्रस्त भू–खण्ड आबादी भूमि में स्थित है। जिसमे गैर–निगरानीकर्ता का पुश्तैनी पुराना कब्जा है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत टिगरिया गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 का नजदीकी रिश्तेदार किस प्रकार है कोई सम्बन्ध नहीं बताया है कोरी कल्पना मात्र है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 140 से 158 तक वर्णित नियमो की पूर्ण रूप से पालना की गयी है। पंचों द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। वादग्रस्त भूमि जिसका पट्टा गैर–निगरानीकर्ता को नियमों की प्रक्रिया अपनाई जाकर दिया गया है वह भूमि गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 की कब्जा शुदा है। चुनौतिधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व नियमानुसार मौका मुआयना हेतु पंचो की नियुक्ति की गई है और पंचो द्वारा नियमानुसार मौका देखा गया है। आपत्ति नोटिस नियमानुसार जारी किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का किसी प्रकार का कब्जा ही नही है तो निगरानीकर्ता के कब्जे के सम्बन्ध में विचार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है न ही ग्राम पंचायत को इस प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त हुई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यालय में विधि–सम्मत की गई है। पत्रावली में कार्यवाही प्रिन्टेड है किन्तु वान्छित सभी आवश्यक तथ्य दर्ज किये गये जो भी तथ्य अंकित किये गये है वे तर्क पूर्ण और विधि–सम्मत है किसी प्रकार से निगरानीकर्ता को अनुचित तरीके से नुकसान नही पहुंचाया गया है निगरानीकर्ता द्वारा गैर–निगरानीकर्ता के पट्टाशुदा भू–खण्ड पर जबरिया कब्जा करने पर उतारू होने पर निगरानीकर्ता के विरूद्ध पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है पुलिस ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध परिशान्ति भंग करने की कार्यवाही की है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है वह पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किया है। निगरानी अधीन पट्टे की 300 वर्गगज भूमि की 6000/–रूपये की राशि प्राप्त की है, अतः निगरानी अस्वीकार फरमाई जाकर संकल्प संख्या 5 दिनांक 06.12.2021 एवं इसके अनुसरण में जारी किये गये पट्टा संख्या 4 दिनांक 20.04.2022 को यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के विद्वान् अभिभाषक का कथन है कि संकल्प संख्या 5 दिनांक 06.12.2021 एवं इसके अनुसरण में जारी किये गये पट्टा संख्या 4 दिनांक 20.04.2022 विधि–संगत है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावें ।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत–टिगरिया की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर–निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया है जिसमें उसका 50 वर्षों पुराना कब्जा अंकित किया है किन्तु 50 वर्षो पुराने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किये गये है कोई नजरी नक्शा पृथक से संलग्न नहीं है। दिनांक 12.11.2021 की आदेशिका में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अंकित है किन्तु मौका रिपोर्ट पर किसी पंच ने अपने हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित नहीं की है और न ही मौका रिपोर्ट पर यह अंकित है कि मौका किस दिनांक को देखा गया है । दिनांक 12.11.2021 की आदेशिका में आपत्ति मांगने हेतु आपत्ति नोटिस 7 योम का जारी किये जाने का कथन अंकित है परन्तु जो आपत्ति नोटिस जारी किये गये है उनमें जारी करने की तारीख 08.11.2021 अंकित है और एक माह के भीतर आपत्ति आमन्त्रित किया जाना अंकित है इस प्रकार जब आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय ही दिनांक 12.11.2021 को लिया गया है तो आपत्ति नोटिस, निर्णय से पूर्व दिनांक 8.11.2021 को कैसे जारी हो सकता है आपत्ति नोटिस में एक माह की आपत्ति अवधि है परन्तु यह नोटिस किसके द्वारा और किसके सामने व कहॉ पर चस्पा किया गया है और किस दिनांक को चस्पा किया गया है विवरण अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आपत्ति नोटिस नियमानुसार जारी कर चस्पा किया गया है । यदि किसी प्रकार से आपत्ति नोटिस को दिनांक 8.11.221 को चस्पा करना मान भी लिया जावे तो ग्राम पचांयत की आदेशिका दिनांक 29.11.2021 में ही सरपंच द्वारा अंकित कर दिया गया है कि दिनांक 29.11.2021 तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने के कारण प्रार्थी अपने पक्ष को मजबूत बनाने हेतु दो गवाहो के बयान करावें । इस प्रकार आपत्ति नोटिस हेतु नियमानुसार 30 दिवस का समय नहीं दिया जाना जाहिर है । जारी किये गऐ पट्टा संख्या 4 की कार्यालय प्रति से जाहिर होता है कि यह पट्टा नियम 158 के अन्तर्गत जारी किया गया है किन्तु नियम 158 में मात्र 150 वर्गगज तक पट्टा रियायती दरों पर आंवटित किये जाने का प्रावधान है जबकि चुनौतिधीन पट्टा 300 वर्गगज का है और आंवटिती से रूपये 6,000/– जमा किये गऐ है नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक 150 वर्गगज आंवटित की गई है इस प्रकार पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही विधि सम्मत प्रतीत नहीं होती है। आदेशिकाऐं जो है, वह कम्प्यूटर–प्रिन्टेड है, हस्तलिखित नहीं है, जिसमें मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है, जिसे स्वच्छ आदेशिका की परिभाषा में नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भू–खण्ड की रंगीन 4X6 की फोटो चिपकी होना और पूजा देवी वार्ड पंच ने व सरपंच ग्राम पचांयत टिगरिया ने यह प्रमाणित किया है कि उक्त फोटो प्रार्थी औमप्रकाश के

भू–खण्ड की है जिसकी मौके पर उनके द्वारा जॉच कर ली गई है जबकि वास्तव में पत्रावली पर फोटो ही चस्पा नहीं है अतः पंच व सरपंच का कथन सही नहीं है । उक्त विवेचनानुसार चुनौतिधीन आज्ञा संकल्प संख्या 5 दिनांक 06.12.2021 एवं इसके अनुसरण में जारी किये गऐ पट्टा सं0–4 दिनांक 20.04.2022 को न्यायसंगत नहीं पाते है। अतः निगरानी–निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा संकल्प संख्या 5 दिनांक 06.12.2021 एवं इसके अनुसरण में जारी किये गऐ पट्टा सं0–4 दिनांक 20.04.2022 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.03.2026 को सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीणा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर